न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

नवलि बनाम रामू देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मुकदमा 418/2019
29-3-23	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। बतलाया उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 CPC सपठित धारा 151 CPC स्वीकार होने पर वादीगण का वाद बाबत इस्तकरार हक, दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा, खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore
29/03/23

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
48 / 2019	2019 / 0009	21.06.2019	29.09.2023

उनवान

1. अनिल पुत्र सरदार सिंह
2. जितेन्द्र पुत्र सरदार सिंह
3. धर्मपाल पुत्र सरदार सिंह
4. सुनीता पुत्री सरदार सिंह
5. सुशीला पुत्री सरदार सिंह
6. ज्योति पुत्री सरदार सिंह
7. कमला देवी पत्नी सरदार सिंह
8. सुल्तान सिंह पुत्र मुरलीराम
9. गोपाल पुत्र मुरलीराम
10. बाबूलाल पुत्र मुरलीराम
11. राजेश पुत्र मुरलीराम

समस्त व्यस्कान जाति जाट निवासी मौहल्ला चौधरी ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

—— वादीगण——

बनाम

1. रामूराम पुत्र महादेव
2. हरिशंकर पुत्र जगदीश
3. शंकरलाल पुत्र जगदीश
4. श्रवण पुत्र जगदीश
5. धर्मेन्द्र पुत्र जगदीश

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

29/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

6. मुरली देवी उर्फ मन्नी देवी पत्नी जगदीश – (फौत)

6/1 सुमित्रा देवी पुत्री स्व. मुरली देवी उर्फ मन्नी देवी

6/2 कमली देवी पुत्री स्व. मुरली देवी उर्फ मन्नी देवी

जाति जाट निवासी मौहल्ला चौधरी तन् अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

7. पटवारी हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
8. उप पंजीयक पंजीयन अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

---प्रतिवादीगण---

उपस्थित : –

श्री सरदार सिंह कुडी– प्रथम एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री रणवीर सिंह एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6/1 व 6/2 अभिभाषक।

श्री अभिषेक कुमावत एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 9।

दावा बाबत इस्तकरार हक, दुरुस्ती इन्द्राज खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

---:: निर्णय ::---

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र बाबत इस्तकरार हक, दुरुस्ती इन्द्राज खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि साबिका आराजी खसरा नम्बर 975 रकबा 42 बीघा 17 बिस्वा, 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 60 बीघा ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर स्थित थी। जिसकी पूर्व खातेदारी दूलाराम पुत्र रुघनाथ ... में दर्ज रही है। दूला पुत्र रुघनाथ ने अपनी खातेदारी भूमि साबिका खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि को जरिये विक्रय लेख भैरुलाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/3 व जगदीश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

व रामू पुत्रगण महादेव हिस्सा 2/3 दिनांक 14.05.1984 को विक्रय कर क्रेतागण को कब्जा संभला दिया व साबिका खसरा नम्बर 975 रकबा 42 बीघा 17 बिस्वा पर दूलाराम पुत्र रूघनाथ काबिज रहा। हाल सेटिलमेन्ट कार्यवाही में साबिक खसरा नम्बर 975, 976/2 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक नम्बर 975 के हाल खसरा नम्बर 1682/0.07, 1683/0.03, 1684/0.05, 1684/0.10, 1686/0.30, 1687/0.01, 1688/0.39, 1689/0.05, 1690/0.05, 1691/1.18, 1692/0.02, 1693/0.08, 1694/0.27, 1695/0.25, 1696/0.12, 1697/0.10, 1698/0.02, 1699/0.25, 1700/0.49, 1701/0.02, 1702/0.61, 1703/0.46, 1704/0.35, 1705/3.40 व साबिक खसरा नम्बर 976/2 के हाल खसरा नम्बर 2099/0.46, 2100/0.24, 2101/0.08,2102/0.01, 2103/4.52, 2104/0.05, 2105/1.40, 2110/0.34 है0 ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर निर्धारित किये जाकर उसकी खातेदारी दूलाराम पुत्र रूघनाथ के नाम दर्ज की गयी। भैरूलाल पुत्र घासीराम व जगदीश, रामू पुत्रान महादेव ने अपने आपको नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर हाल आराजी खसरा नम्बर 2102/0.01, 2103/4.52, 2104/0.05 है0 किता 3 रकबा 4.58 है0 को साबिक खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा से बनना बताते हुये सहायक भू-प्रबंध अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर से उपरोक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करवा ली जो कि गलत है क्योंकि सहायक भू-प्रबंध अधिकारी को बिना सक्षम न्यायालय की आज्ञा के खातेदारी परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था। इसके अलावा उपरोक्त क्रेतागण ने साबिक खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि खरीद की थी, जबकि हाल खसरा नम्बर 2102/0.01, 2103/4.52, 2104/0.05 है0 का रकबा 4.58 है0 की खातेदारी दी है। जो साबिक के मुकाबले 0.30 है0 अधिक है। ए.एस.ओ. को खरीद भूमि से अधिक भूमि की खातेदारी देने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त वर्णित आराजी मुतनाजा के तत्समय खातेदार दूलाराम पुत्र रूघनाथ के द्वारा बेचान की गयी भूमि साबिक खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि का ही विक्रय कर क्रेतागण भैरूलाल पुत्र घासीलाल व जगदीश रामू पिता महादेव को कब्जा संभलाया था। इससे अधिक भूमि से उक्त क्रेतागण या अप्रार्थीगण का कभी कोई संबंध नही रहा एवं न ही वर्तमान में है। ए.एस.ओ.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

28/09/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमाधोपुर के द्वारा पारित किये गये आदेश में दूलाराम के द्वारा शपथ पत्र के आधार पर हाल आराजी खसरा नम्बर 2102/0.01, 2103/4.52, 2104/0.05 कुल किता 3 रकबा 4.58 है0 पर केतागण का कब्जा होने की पुष्टी होने का अंकन किया गया है। जबकि दूलाराम के द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 2102, 2103, 2104 कुल किता 3 रकबा 4.58 है0 पर केतागण का कब्जा होने के संबंध में शपथ पत्र में वर्णित नही किया है बल्कि विकेता दूलाराम के द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 976/2 क्षैत्रफल 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि का विक्रय पत्र भैरूलाल पुत्र धन्नीराम हिस्सा 1/3 जगदीश, रामू पुत्रगण महादेव हिस्सा 2/3 को विक्रय कर उनके पक्ष मे विधिवत उपपंजीयक श्रीमाधोपुर के लेखबद्ध पंजीयन करवाना तथा केतागण का कब्जा करवाने का अंकन किया गया है। इसलिये ए.एस.ओ. श्रीमाधोपुर के द्वारा आदेश विक्रेता दूलाराम तथा वादीगण के खातेदारी हक अधिकारो के विपरीत होने से 'शून्य है। जिससे उक्त क्रेतागण एव प्रतिवादी को कोई अधिकार सृजित नही होते है। उक्त वर्णित आराजी मुतनाजा के खातेदार दूला पुत्र रघुनाथ के फौत होने के पश्चात उनकी खातेदारी भूमि का वादीगण संख्या 1 लगायत 6 के पिता व वादी संख्या 7 के पति मृतक सरदार सिंह व वादीगण संख्या 8 लगायत 11 के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 144 जमाबंदी संवत् 2045 से 2048 में दर्ज की गयी तथा दूलाराम के समस्त खातेदारी भूमि पर वादीगण दूलाराम के फौत होने पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। जिससे वादीगण के अलावा अन्य किसी का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है न ही वर्तमान में है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने हाल खसरा नम्बर 2103/4.52 की खातेदारी अपने नाम करवाने के पश्चात उक्त भूमि में से 0.2340 है0 भूमि रिलायन्स ईण्डस्ट्रीज लि0 कार्यालय मेकर चैम्बर्स-4 तृतीय तल-222 नरीमन पाइन्ट मुम्बई-400021 जरिये विवेक गुप्ता-331-332 गणपति प्लाजा एम.आई. रोड जयपुर के नाम करवा दी। जिस[illegible] 2103/2 रकबा 0.2340 है0 उक्त रिलायन्स इण्डस्ट्रीज के [illegible] नम्बर 2103/1 4.2860 है0 में से हाल खसरा नम्बर 2103/3 [illegible] 1.2980 है0 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम व खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 है0 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 ने अपने नाम करवा ली। प्रतिवादीगण का वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

29/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

की भूमि खसरा नम्बर 2100 व 2101 के बीच की भूमि मे 0.30 है0 मे कोई संबंध नही है उक्त भूमि पर वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा वर्तमान मे भी काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है व बिना किसी अधिकार के वादीगण की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे मजाहमत पैदा करने लग गये व उक्त भूमि खसरा नं. 2103/1 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 अपने नाम दर्ज होना बताते हुये वादीगण जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करने व दीगर से कब्जा करवाने व खातेदारी अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुये अन्य दीगर को रहन बय हस्तान्तरण करना चाहते है। जिसकी उन्होने वादीगण को अर्सा 10 रोज पूर्व स्पष्ट धमकी दी। वादीगण ने उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम उनके हिस्सा के अनुसार दुरूस्त कराने हेतु कहा तो उससे भी इंकार हो गये। इसलिये वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया। यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे विवादित भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करने व अन्य दीगर को कब्जा [illegible] व खातेदारी अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने की नियत से अन्य [illegible]र को रहन बय हस्तान्तरण करने व उसका स्थानान्तरण डीड प्रतिवादी संख्या 8 के कार्यालय में पंजीकरण करवाकर प्रतिवादीगण संख्या 7, 9 से राजस्व [illegible] में परिवर्तन करवाने में सफल हो जावेंगे। जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में नहीं की जा सकेगी व पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी। खसरा नम्बर 2103/1 के पश्चिमी तरफ की 0.030 है0 भूमि जो गलत रूप से प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज की गई है व जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है को वादीगण हिस्से अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के डिकी इस्तकरार हक दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खाते[illegible] प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 [illegible] की 0.30 हैक्टर भूमि ग्राम अजीतगढ के 1/5 भाग का [illegible] को व 4/5 भाग का वादीगण संख्या 3 लगायत 11 को खातेदार का[illegible]कार घोषित किया जाकर राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

29/08/23 दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद कराया जाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खातेदारी से हजक फरमाये जाने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने कि वे वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे एंव ना ही दीगर से कराने बाबत वादीगण ने यह वाद बहक विरुद्ध प्रतिवादीगण का न्यायालय में पेश किया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से श्री अभिषेक कुमावत एड0 ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी व 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के पेश किये गये। जो बाद वकील प्रतिवादीगण की प्रार्थना पर उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को विड्रा कर खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 के फौत होने पर कायम मुकामी प्रार्थना पत्र पेश होकर स्वीकार होने पर प्रतिवादी संख्या 6 के वारिसान् को रिकार्ड पर लिया जाकर संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 व 6/1 से 6/2 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 9 की तामील असालतन होकर लौटने के बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर विवेचन करवाया गया। प्रकरण को साक्ष्य वादी में लिया गया।

इसी दौरान वकील वादीगण ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टर में से पश्चिमी साइड की 0.30 हैक्टर भूमि तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर का वादपत्र की अनुतोष खण्ड 18 (अ) में वर्णित घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा है। जिसके प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 व 6/1, 6/2 के द्वारा जवाब दावा के विशेष कथन के खण्ड संख्या 2 में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से प्रतिवादीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2103 का रकबा 3.64 हैक्टर के स्थान पर 4.52 हैक्टर दर्ज करने की स्वीकारोक्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

29/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

की है व वादीगण द्वारा उक्त बढ़ी हुई भूमि में से ही पश्चिमी तरफ की 0.30 हैक्टर भूमि बाबत अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत किये जाने से व हाल सैटलमेंट में प्रतिवादीगण की खातेदारी में साबिका रिकार्ड से बनी हुई भूमि को कम की जाकर वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत डिक्री किये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के प्रत्युत्तर में वकील प्रतिवादीगण ने अवगत कराया कि खसरा नम्बर 2103 का रकबा 3.54 हैक्टर के स्थान पर 4.52 हैक्टर दर्ज किये जाने के कथन के साथ यह भी उल्लेख किया है कि राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियों की गलती से भूमि खसरा नम्बर 2099 व 2101 प्रतिवादीगण की खातेदारी से हटाकर वादीगण के नाम गलत रूप से दर्ज की गई। प्रतिवादीगण ने भूमि खसरा नम्बर 976/2 पुराने जिसके नवीन खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2110 में से 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख खरीद की थी एंव इसी आधार पर भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 से 2103 पर काबिज व आबाद है। वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण के जवाब दावा में किये गये उक्त कथनों को छुपाकर पेश किया जो गलत व आधारहीन है। मद संख्या 2 जिस प्रकार वर्णित है गलत है। आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के अनुसार किसी भी दावा/प्रतिदावा/जवाब दावा में समान तथ्य होने पर लागू होते है जबकि वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में आधी अधूरी बातें प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि किसी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान किये जाने का आधार संबधित पत्रावली में उभय पक्षों द्वारा किये गये समस्त अभिकथन व पत्रावली का प्रदान किया जाना या निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं होने से वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया हैं।

प्रकरण में वकील वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी का वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दरख्वास्त पेश कर दिये जाने से आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

22/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए अवगत कराया कि पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख वादीगण के पूर्वज खातेदार दूलाराम पुत्र रूघाराम द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज भैरूंलाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/3 व जगदीश व रामू पुत्र महादेव हिस्सा 2/3 को दिनांक 14.05.1984 को विक्रय किया गया था। जिसकी खातेदारी क्रेतागण द्वारा दौराने सैटलमेंट कार्यवाही सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर के समक्ष प्रकरण पेश कर बाद जॉच क्रेतागण के पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 के नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.01 हैक्टर, 2103 रकबा 4.52 हैक्टर, 2104 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.58 हैक्टर जॉच में बनना पाये जाने पर इसकी खातेदारी क्रेतागण भैरूंलाल पुत्र घासीराम, जगदीश व रामू पुत्र महादेव के नाम खातेदारी दर्ज की गई। जो मिसल संख्या 163/84 के तहत निर्णित किया गया। जिसमें रकबे को 17 बीघा 3 बिस्वा का रकबा 4.28 हैक्टर बनता है के बजाय रकबा 4.58 हैक्टर बना दिया गया। जो कि 0.30 हैक्टर पश्चिमी तरफ की (खसरा नम्बर 2100 व 2101 के [illegible] की) भूमि वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के नाम अधिक गलत दर्ज कर दी गई [illegible] वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 2103 के बट्टा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टर व 2103/2 रकबा 0.2340 हैक्टर व 2103/3 रकबा 1.2980 हैक्टर बनाये गये। जिसमें से वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टर मे से 0.30 हैक्टर पश्चिमी तरफ की (खसरा नम्बर 2100 व 2101 के बीच की) भूमि वादीगण की प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज की गई है। जो राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] के पूर्वजों से ही भूमि क्रय की गई है। इसलिए क्रेतागण [illegible] अधिक भूमि प्राप्त करने का किसी भी सूरत में अधिकारी नहीं है। सैटलमेंट की कार्यवाही के दौरान जो मिलान क्षेत्रफल बनाया गया उसमें 976/2 के उपरोक्त खसरा नम्बरों 2102, 2103, 2104 के अलावा अन्य नवीन खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2105, 2110

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

22/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

गलत दर्ज कर दिये गये। जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर पुराने 975 से बने है। जो भू प्रबन्ध विभाग सीकर की मिसल संख्या 163/84 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.1984 की पालना में बनाये गये है। जो कि गलत होने पर दुरूस्तीय योग्य है तथा उक्त वादपत्र के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 व 6/1, 6/2 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के विशेष विवरण के खण्ड संख्या 2 में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से प्रतिवादीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2103 का रकबा 3.64 हैक्टर के स्थान पर 4.52 हैक्टर दर्ज करने की स्वीकारोक्ती की है। जिसे वादीगण द्वारा उक्त बढ़ी हुई भूमि नवीन खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टर में से पश्चिमी तरफ की 0.30 हैक्टर भूमि (खसरा नम्बर 2100 व 2101 के बीच की) भूमि बाबत अनुतोष चाहे जाने से उक्त 0.30 हैक्टर भूमि को प्रतिवादीगण के हिस्से से कम की जाकर वादीगण के नाम उद्घोषणा जारी किये जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित करते हुए स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब दरख्वास्त में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए अवगत कराया कि प्रतिवादीगण ने भूमि खसरा नम्बर 976/2 पुराने जिसके नवीन खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2110 में से 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख खरीद कर लिये जाने से उक्त विक्रय लेख के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 से 2103 पर वर्तमान में काबिज व आबाद होना तथा राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियों की गलती से भूमि खसरा नम्बर 2099 व 2101 को प्रतिवादीगण की खातेदारी से हटाकर वादीगण के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया जाना तथा वादीगण द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को प्रतिवादीगण के जवाब दावा में किये गये कथनों को छुपाकर पेश किया जो गलत व बेबुनियादी होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

22/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दीयॉ सम्वत् 2023 से 2026, 2045 से 2048, 2055 से 2058, 2057 से 2060, 2065 से 2068, 2074 से 2077, विक्रय लेख दिनांकित 14.05.1984, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल व खतौनी हाल खाता संख्या 126, नकल नक्शा साबिक व नकल नक्शा ट्रेस हाल, भू प्रबन्ध विभाग की मिसल संख्या 163/84 भॅवर लाल पुत्र घासीराम जाट में पारित निर्णय दिनांक 22.08.1984 जो वरवक्त सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान पारित किया गया है, का अवलोकन किया गया तथा उक्त प्रकरण में वादीगण की ओर से जो वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें उनके पूर्वजों के द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वजों को जो भूमियॉ जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 14.05.1984 को विक्रय की गई है। वह भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि का विक्रय किया जाना विक्रय लेख से स्पष्ट है। तथा उक्त विक्रय लेख के आधार पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर के समक्ष वास्ते खातेदारी दर्ज करवाने का आवेदन प्रतिवादीगण के पूर्वज केतागण में से भैरूलाल द्वारा आवेदन पेश किया जाना प्रकट होता है। जिसमें बाद जॉच पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा से नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.01 हैक्टर, 2103 रकबा 4.52 हैक्टर, 2104 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.58 हैक्टर जॉच में बनना पाये जा[illegible] भैरूंलाल पुत्र घासीराम, जगदीश व रामू पुत्र महादेव के नाम खातेदारी में राजस्व रिकार्ड किया जाना रिकार्ड से प्रमाणित होता है। किन्तु इसमें जो रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा का था जो बीघा से नवीन हैक्टर प्रणाली से 4.28 हैक्टर ही बनता है के बजाय 4.58 हैक्टर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 29/09/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दर्ज किया गया है जो कि खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टर में से रकबा 0.30 हैक्टर (खसरा नम्बर 2100 व 2101 के बीच की) भूमि अधिक दर्ज किया जाना रिकार्ड से प्रमाणित होता है। प्रतिवादीगण ने भी अपने खातेदारी में बढा हुआ रकबा को अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में स्वीकार किया जाकर जवाब दावें में अपने हस्ताक्षर अंकित किये है। प्रतिवादीगण की ओर से अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब दावें में अपने बढ़े हुए रक्बे को स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त ही वादीगण की ओर से उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी का प्रस्तुत कर खातेदारी दुरूस्ती बाबत अनुतोष चाहा है। सीपीसी के आदेश 12 नियम 6 में वर्णित प्रावधान इस प्रकार से हैः–

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 नियम 6

सीपीसी में स्पष्ट वर्णित है किः– स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय –

(1) जहॉ अभिवचन में यहॉ अन्यथा, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में तथ्य की स्वीकृतियां की जा चुकी हैं वहां न्यायालय वाद के किसी प्रक्रम में या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से और पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रश्न के अवधारण की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(2) जब कभी उपनियम (1) के अधीन निर्णय सुनाया जाता है तब निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वह तारीख दी जाएगी जिस तारीख को उक्त निर्णय सुनाया गया था।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण [illegible] बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा की अनुतोष बाबत भूमि खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टर में से पश्चिमी साईड की 0.30 हैक्टर भूमि (खसरा नम्बर 2100

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

व 2101 के बीच की) भूमि ग्राम अजीतगढ़ के 1/5 भूमि का वादीगण संख्या 1 लगायत 7 को व 4/5 भाग का वादीगण संख्या 8 लगायत 11 को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तथा उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का नाम रहन हजफ किये जाने बाबत पेश किया गया है। जिसके जवाब दावें के विशेष कथन की मद संख्या 2 में प्रतिवादीगण के द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना कि सैटलमेंट के समय राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से प्रतिवादीगण की कृषि भूमि का रकबा बढ़ाकर अंकित कर दिया जाना जबकि मौके पर प्रतिवादीगण के पास 17 बीघा 3 बिस्वा भूमि ही मौजूद रहने तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2103 का रकबा 3.64 हैक्टर के स्थान पर 4.52 हैक्टर अर्थात 0.88 हैक्टर भूमि अधिक दर्ज कर दिये जाने की स्वीकारोक्ति किया है। जबकि वादीगण ने तो केवल मात्र भूमि खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टर में से पश्चिमी साईड की 0.30 हैक्टर भूमि (खसरा नम्बर 2100 व 2101 के बीच की) भूमि बाबत ही अनुतोष चाहा गया है। राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस के मुताबिक प्रतिवादीगण के क्रयशुदा रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा जो नवीन खसरा नम्बर 2104 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण की भूमि से अलग थलग दर्शित की गई है तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 2104 रक्बा 0.05 हैक्टर भूमि ना तो वादीगण के कब्जे व स्वामित्व में है एंव ना ही प्रतिवादीगण के कब्जे व स्वामित्व में है। इसलिए उक्त भूमि खसरा नम्बर 2104 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि की एवज में जो वादीगण के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टर में से पश्चिमी तरफ की 0.30 हैक्टर भूमि के बजाय 0.05 हैक्टर भूमि उक्त रकबे में से कम की जाकर वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2103/1 रकबा 2.9880 हैक्टर में से पश्चिमी साईड की 0.25 हैक्टर भूमि (खसरा नम्बर 2100 व 2101 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बीच की) भूमि तथा शेष रकबा 2.7380 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के नाम बदस्तुर जमाबन्दी रखा जाना उचित समझते है। उक्त रकबा जो कि प्रतिवादीगण की स्वीकारोक्ति से भी कम रकबा है। जो कि दुरूस्तीय होकर वादीगण इसके अधिकारी पाये जाते है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार होने पर वादीगण का वाद बाबत् इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि राजस्व ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के हाल कृषि भूमि खसरा नम्बर 2103/1 कुल रकबा 2.9880 हैक्टर में से पश्चिमी तरफ की 0.25 हैक्टर भूमि (खसरा नम्बर 2100 व 2101 के बीच की) भूमि के 1/5 भाग का वादीगण संख्या 1 लगायत 7 को 4/5 भाग का वादीगण संख्या 8 लगायत 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त रकबा 0.25 हैक्टर भूमि से प्रतिवादीगण का नाम रहन खातेदारी से खारिज किया जाता है तथा शेष रकबा 2.7380 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के नाम बदस्तुर जमाबन्दी रखी जाती है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

28/09/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट्रटेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

28/09/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)